अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

पथ प्रमंडल सुपौल अन्तर्गत नारायणपुर चौक एन०एच०–57 क्षिल्ला–शाहपुर से करजाईन बाजार एन०एच०–106 पथ क कि०मी० 1 से 7, 8 (अंश), 9 (अंश), 10 से 13, 14 (अंश), 15 (अंश), 16 से 21 एवं 22 (अंश) तक कुल 19.92 कि०मी० पथांश लंबाई में क्रॉस ड्रेनेज एवं पथ बचाव कार्य सहित आई0आर0क्यू0पी0 कार्य वर्ष 2008–09 हेतु आमंत्रित निविदा में संवेदक मेसर्स घनश्याम लाल, सिमराही बाजार, सुपौल द्वारा भाग लिया गया एवं निविदा के कागजातों में विभागीय पदाधिकारियों की मिली भगत से हेरा–फेरी की गयी। जिसके लिए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–3487 (ई०) दिनांक 18.05.2016 के द्वारा संवेदक मेसर्स घनश्याम लाल को 10 वर्षो के लिए कालीकृत किया गया। उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किया गया। संवेदक के अपील पर सुनवाई करते हुए अपील आवेदन को विभागीय आदेश ज्ञापांक–6490 (ई०) दिनांक 28.09.2016 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक मेसर्स घनश्याम लाल द्वारा CWJC No-17491/2016 दायर किया गया। CWJC No-17491/2016 मेसर्स घनश्याम लाल बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20.03.2017 को पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :–

"As it appears that both the appellate authority and the Disciplinary Authority have not applied their conscious judicial mind whithout considering the fact that in the case of M/s. Vishal Builtech (i) Pvt. Ltd. the order of punishment has been withdrawn from the date of issuance whereas the petitioner has remained blacklisted since 19.08.2009 is a quite a long period and has been argued by the learned counsel for the petitioner that their case would not be governed by the executive instruction dated 18.06.2015 which classifies the nature of punishments corresponding to misconducts. In this case, the allegation is related to of the year 2009 and the executive instruction has come after a long lapse of time which is punitive in nature, cannot be made applicable giving retrospective effect. The infliction of punishment will always be dependent on the nature and gravity of misconduct and its repetition.

In the result, both the orders are quashed. The matter is relegated to the Engineer-in-Chief cum Additional Secretary cum Special Secretary who will consider in what manner the case of the petitioner is different to the case of M/s Vishal Builtech (I) Pvt. Ltd., would pass reasoned order after giving proper opportunity of hearing to the petitioner."

कृ०पृ०उ०

उक्त न्यायादेश के आलोक में (1) संवेदक मेसर्स घनश्याम लाल को कालीकृत करने संबंधित सकारण आदेश ज्ञापांक–3487 (ई०) दिनांक 18.05.2016 एवं अपीलीय विभागीय आदेश ज्ञापांक–6490 (ई०) दिनांक 28.09.2016 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

(2) संवेदक मेसर्स घनश्याम लाल, सिमराही बाजार, सुपौल से स्पष्टीकरण प्राप्त कर समीक्षा करते हुए पुनः समुचित आदेश निर्गत किया जायेगा।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

2245(E) दिनांक 5/5/17

प्रतिलिपि :– मेसर्स घनश्याम लाल, सिमराही बाजार, पो०–जियाराम–राघोपुर, थाना–राघोपुर, जिला–सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–126/2016– 2245(E) /पटना, दिनांक 5/5/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–126/2016– 2245(E)/पटना, दिनांक 5/5/17

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/मुक०–126/2016– 2245(E)/पटना, दिनांक 5/5/17

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव